संख्या - 008/वी.जी.एल/052
भारत सरकार
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 18.07.2008

परिपत्र संख्या 23/7/08

विषय: सरकारी संगठनों में बेहतर सतर्कता प्रशासन के लिए सर्वांगी सुधार ।

बेहतर सतर्कता प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग, निवारक सतर्कता के भाग के रूप में सर्वांगी सुधारों पर बल देता रहा है । सतर्कता मामलों की जांच करते समय आयोग ने देखा कि कई बार कर्मचारी या तो प्रणालियों में कमजोरी/अस्पष्टता का लाभ उठाते हैं अथवा संगठन में प्रणाली के अभाव का लाभ उठाते हैं । आयोग द्वारा संबंधित संगठनों की जानकारी में इन सर्वांगी असफलताओं को लाया गया है परंतु ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति संकेत करती हैं कि आयोग की सलाह पर उचित संज्ञान नहीं लिया गया था तथा ऐसे कदाचारों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणाली को अद्यतन/लागू नहीं किया गया था ।

2. अत:, मुख्य सतर्कता अधिकारियों को उनके संगठनों में वर्तमान प्रणाली तथा नीतियों में कमियों को पहचानने के लिए एवं ध्यान में आई सर्वांगी त्रुटियों के कारण सामने आई कमियों अथवा सामने आने वाली संभावित कमियों के लिए कार्रवाई करनी चाहिए । प्रणालियों को मजबूत/सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों की भी मुख्य सतर्कता अधिकारी पहचान करें तथा पहचाने गए सर्वांगी सुधारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संगठन के प्रबंधन के साथ मामला उठाएं ताकि किसी भी प्रक्रिया/प्रणाली में हेर-फेर के लिए कोई अनिश्चितता अथवा अवसर नहीं रहे ।

3. यह सम्पूर्ण कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करना चाहिए तथा इस संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा किए गए उपायों की सूचना आयोग को 31.10.08 तक दी जाए ।

-ह0/-
(राजीव वर्मा)
अवर सचिव

चयनित संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी